न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 76/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सीता पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी कमलकिशोर जाति सोनी निवासी फरडोद हाल निवासी नागौर।		1जेठमल पुत्र घेवरचंद जाति गोलछा निवासी नोखा जिला बीकानेर। 2श्रीमती संतोष पुत्री नित्यानंद जाति ब्राह्मण जोशी निवासी सुराणा की बारी के सामने नागौर। 3श्रीमती उषा पत्नी महेन्द्र जाति जैन निवासी पूर की गली नागौर। 4ईमा पत्नी सीताराम पुत्री मोहनलाल जाति सोनी निवासी सोमणा तहसील जायल। 5जसु पुत्री मोहनसिंह पत्नी बंशीलाल जाति सोनी निवासी लांबाजाटान तहसील मेडता। 6नेनी पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी भगवती प्रसाद सोनी निवासी थांवला 7बुधवंती पुत्री मोहनलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति सोनी निवासी पाली। 8कैलाश पुत्री मोहनलाल पत्नी रमेश जाति सोनी निवासी लाडपुरा 9निकिता पुत्री पुखराज जाति सोनी निवासी अहमदपुरा नाबा. 10सुषमा पुत्री पुखराज जाति सोनी निवासी अहमदपुरा नाबा. 11दीपिका पुत्री पुखराज जाति सोनी निवासी अहमदपुरा नाबा. 12पलक पुत्री सम्पतराज जाति सोनी निवासी अहमदपुरा नाबा. 13आरती पुत्री सम्पतराज सोनी नाबा. निवासी अहमदपुरा तनकिता, सुषमा, दीपिका, पलक, आरती नाबा. जरिये भुआ बुधवन्ती पत्नी ओमप्रकाश पुत्री मोहनलाल सोनी निवासी अहमदपुरा हाल निवासी पाली। 14तहसीलदार, नागौर। 15पटवारी भाकरोद।

उपस्थिति :–

1. श्री रिद्धकरण धोलिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश गौड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से।
3. श्री हरदेव राम, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 9 से 13 की ओर से।
4. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.03.20

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम भाकरोद के नामान्तरकरण सं. 1942 निर्णय दिनांक 15.07.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 15.09.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम भाकरोद के नामान्तरकरण सं. 1942 दिनांक 15.07.17 की फोटोप्रति, मौजा भाकरोद के खसरा नं. 165 की जमाबंदी संवत 2069–72 की फोटोप्रति, मौजा भाकरोद के खसरा नं. 165 नक्शा ट्रेस की प्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के राजस्व वाद सं. 26/17 सीता बनाम जेठमल के फर्द अहकाम की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर को प्रस्तुत वाद सं. 26/17 की फोटोप्रति, न्यायालाय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के राजस्व प्रा. पत्र सं. 37/17 सीता बनाम जेठमल के फर्द अहकाम दिनांक 5.5.17 से दिनांक 20.7.17 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रा. पत्र की फोटोप्रति, नागौर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. नागौर की बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति, बेचान रजि. दिनांक 29.4.97 की फोटोप्रति, नोटिस दिनांक 9.11.16 की फोटोप्रति, गिरदावरी मौजा भाकरोद के खसरा नं. 165 संवत 2041–44, 2053–76 की प्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट

अपर कलक्टर, नागौर

सं. 1 से 3 की ओर से श्री ओम प्रकाश गौड अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 9 से 13 की ओर से श्री हरदेव राम अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 14 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 से 6, व 8 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 15 दिनांक 16.7.19 को उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–अपीलांट सीता ने तहसीलदार नागौर को फौतगी म्यूटेशन हेतु एक आवेदन पेश किया, जो दिनांक 15.2.17 को पेश किया और कहा कि आज दिन तक कब्जा हमारा ही है और उक्त प्रकरण की जांच मे पटवार हल्का ने रेस्पोडेन्ट से मिलकर गलत नामान्तरकरण किया। जिससे उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई और उनको निलम्बित किया गया।

{2}(II)–रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस मे यह कथन किया कि उक्त खेत मे तारामीरा की फसल बोना बताया है। जबकि इस वक्त किसी प्रकार की कोई तारामीरा की फसल नही बोई गई है, उक्त खेत पर कब्जा आज दिन तक हमारा ही है। रेस्पोडेन्ट को उक्त खेत कहां स्थित है, उसके क्या पडोसी है, आज दिन तक कोई पता नही है, न उनको कोई जानकारी है। जो बेचान हुआ था, उसमे भी पडोसी गलत बताये गये है, उक्त बेचान मे हाईवे भी छिपाया गया, क्योकि उनको यह जानकारी नही थी कि जमीन हाईवे पर स्थित है। उन्होने बाले बाले कागजी बेचान किया था, मौके पर किसी प्रकार से कोई सूचना भी नही थी और उक्त बेचान पूर्ण रूप से फर्जी है, क्योकि मोहनराम हस्ताक्षर करता था, जबकि बेचान मे अंगूठा दर्शाया है और बीस साल बाद म्यूटेशन दर्ज होना अपने आप मे ही साबित होता है। हमने अपने उतराधिकारियो को नामान्तरकरण के लिये पटवारी हल्का व तहसीलदार को आवेदन भी दिया था और उक्त म्यूटेशन से पहले हमने न्यायालय मे एक वाद भी पेश किया था। रेस्पोडेन्ट ने किस ट्रेक्टर से कब बोया, किसी प्रकार का कोई वर्णन नही दिया गया है। क्योकि उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नही है। क्योकि मोहनराम वृद्व होने के बाद उसके पुत्रो की भी मृत्यु हो गई थी, हम महिला होने के कारण हाल ही मे मुआवजा आने पर हमने पता किया, तो पता चला कि आपके नाम म्यूटेशन नही भरवाया गया, मोहनराम मेरे पिता के नाम ही है, तब मैने किया। हमने मुआवजा आवेदन का पता करने पर इस नामान्तरकरण की जानकारी हुई, तो हमने तुरंत पटवारी तहसीलदार को आवेदन भी दिया, गलत नामान्तरकरण भरने पर पटवारी व तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच भी हुई, जो वर्तमान मे विचाराधीन है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण फर्जी है और बेचान भी फर्जी है, नामान्तरकरण भी गलत बिना कोई कब्जे की जांच किये मौके पर बिना कोई पटवारी हल्का द्वारा जांच किये किया है, जबकि कब्जा आज दिन तक अपीलांट का ही है। संवत 2073 मे हमने मूंग की फसल बाई थी, उसके बाद मे हमने किसी प्रकार की कोई फसल नही बोई थी और अभी हाल ही मे हमने बबूल की कटाई की है और रेस्पोडेन्ट द्वारा झूठा कब्जा बताना गलत है तथा वकील रेस्पोडेन्ट सं. 7 व 9 से 13 ने वकील अपीलांट की बहस का समर्थन किया।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{3}(I)–अपीलांट ने एक अपील खेत खसरा नं. 165 रकबा 6.01 वाके भाकरोद तहसील नागौर अपने पिता मोहनराम की खातेदारी होने तथा उनके देहान्त के पश्चात उसके पुत्रगण पुखराज व सम्पत एवं पत्नी छगनी देवी के देहान्त के पश्चात आपस मे गलत रूप से दावा किया तथा मोहनराम ने दिनांक 29.04.97 को इस खेत को रू. 20,000/– मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 को बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर भौतिक रूप से मौके पर क्रेतागण को कब्जा सुपुर्द कर बेचान की रजिस्ट्री क्रेतागण के पक्ष मे करवा दी एव इसका नामान्तरकरण भी क्रेतागण ने अपने पक्ष मे दिनांक 15.07.97 को नामान्तरकरण सं. 1942 के भरकर स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार क्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 भौतिक रूप से खसरा नं. 165 रकबा 6.01 बीघा वाके भाकरोद पर मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने से मालिक काबिज होने से पटवारी हल्का ने सही रूप से भरा गया तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने जांच मे सही पाने पर रिपोर्ट की तथा तहसीलदार नागौर ने नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। जबकि मोहनराम का देहान्त दिनांक 29.03.02 व उसके पुत्र पुखराज का देहान्त दिनांक 21.02.08 को व सम्पतराज का देहान्त दिनांक 25.08.11 को तथा उसकी पत्नी छगनी का देहान्त दिनांक 24.09.10 को हो गया तथा शेष पुत्रियां रेस्पोडेन्ट सं. 5 से 13 क्रमशः इमा, जसु, सीता, नैनी, बुधवंती, कैलाशी, पौत्रियां निकिता, सुषमा,

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

दीपिका, पलक व आरती भी अपने अपने ससुराल चली गई। इस प्रकार इन मे से किसी का भी भौतिक रूप से इस खेत पर संयुक्त रूप से या पृथक पृथक रूप से किसी प्रकार होना संभव नही है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का दिनांक 29.04.97 से उक्त खेत का पंजीयन उप पंजीयक नागौर के कार्यालय मे बेचान का दस्तावेज पंजीयन होने से स्पष्ट रूप से हमारे पक्ष मे पूर्ण रूप से साबित है। फिर भी गलत रूप से अपील पेश की है जो पूर्ण रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(II)–अपीलांट ने यह नही बताया कि उन्हे बेचान 29.04.97 का होने से तथा 20 वर्ष पश्चात 31.7.17 को कैसे जानकारी हुई। सूचना किसने दी, कब दी, कैसे दी कुछ भी नही बताया है जिससे अपील पूर्ण रूप से मयाद बाहर है।

{3}(III)–अपीलांट की अपील पूर्ण रूप से गलत, बिना आधार के तथा भौतिक रूप से खसरा नं. 165 रकबा 6.01 बीघा वाके भाकरोद के किसी भी हिस्से पर काबिज काश्त नही होने से की है। जो पूर्ण रूप से काबिल खारिज के है।

{3}(IV)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का दिनांक 29.04.97 को खसरा नं. 165 रकबा 6.01 बीघा वाके भाकरोद को रू. 20,000/– नकद मोहनराम विक्रेता खातेदार को अदा कर पूर्ण प्रतिफल देकर उक्त खेत का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर बेचान का दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय नागौर मे पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर रू. 20,000/– प्राप्त करना तथा खसरा नं. 165 रकबा 6.01 बीघा वाके भाकरोद का कब्जा हम क्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 को हस्ताक्षर करना स्वीकार किया एवं अपने हस्ताक्षर, अंगूठे दस्तावेज व सरकारी रजिस्टरो मे अंकित करवाया तथा अपना फोटो भी करवाया तथा पहचान भी दी एवं पुखराज पुत्र मोहनराम सोनी निवासी अहमदपुरा तथा जबरसिंह पुत्र समेलसिंह जाति राजपूत को साक्ष्य दस्तावेज पर लिखकर अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार कानून की अवधारणा है कि ऐसा पंजीयन दस्तावेज जब तक न्यायालय अवैध घोषित नही कर दे तब तक पूर्ण सत्य माना जाता है। ऐसी स्थिति मे भौतिक रूप से हम क्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 पूर्ण रूप से उक्त खेत के काबिज है तथा मलिक खातेदार है। अपीलांटान ने दावा भी कर रखा है ऐसी सूरत मे इस अपील मे केवल सरसरी जांच ही की जा सकती है। मूल तथ्य दावे मे भी तय होगे। नामान्तरकरण मे केवल फिस्कल जांच ही होती है। जो पूर्ण रूप से सही भरा जाना है। लगान माफ होने से तथा नामान्तररकण देरी से भरने से बेचान दस्तावेज निरस्त नही हो सकता है। राजकीय सेवारत कर्मचारीगण पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक व अधिकारी तहसीलदार केवल अपने कर्तव्य पालन करते है। उन पर मिलीभगत का लांछन लगाना पूर्ण रूप से गलत है।

{3}(V)–विक्रय दस्तावेज के पंजीयन मे पढा लिखा होने पर भी अंगूठे व हाथ के पांचो अंगुलियो के निशान भी लिये जाते है। हस्ताक्षर फर्जी बनाये जा सकते है। जबकि अंगूठे व अंगुलियो के चिह्न फर्जी नही बनाये जा सकते है। इसलिये विक्रय दस्तावेज किसी भी सूरत मे फर्जी नही हो सकता है।

{3}(VI)–क्रेतागण ने खरीद के पश्चात बराबर अपने खरीदे गये खेत खसरा नं. 165 रकबा 6.01 बीघा पर लगातार काश्त करते आये है तथा आज भी काश्त क्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का ही मौके पर भौतिक रूप से तारामीरा की काश्त की गई है तथा जो हिस्सा सडक के लिये अवाप्त हुआ है। उसकी राशि प्राप्त करने के हकदार हम क्रेतागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ही है। नामान्तरकरण पूर्ण रूप से सही है।

{3}(VII)–नामान्तरकरण स्वीकार करने एवं भरने से पूर्व पटवारी हल्का मौके पर जाकर भौतिक रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का कब्जा मौके पर आने से एवं पडोसियो से पूछताछ करने से एवं दस्तावेज के अवलोकन से सही पाने से पर नामान्तरकरण भरा गया एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने जांच की एवं सही पाया तथा इसी प्रकार की रिपोर्ट की अंकित की जाकर तहसीलदार नागौर ने जांच करने पर सही पाया एवं अपने हस्ताक्षर कर नामान्तरकरण स्वीकार किया है। जो पूर्ण रूप से सही है। ऐसा कोई गलत या फर्जी किया होता तो पुलिस मे फौजदारी प्रकरण हो सकता था। परंतु ऐसा होना कभी संभव नही है। सारी विधिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपनाई गई। अपील मयाद बाहर है। कब जानकारी हुई, कैसे हुई, किससे हुई। इस बाबत धारा 5 कानून मयाद का आवेदन व शपथ नही होने से पूर्ण रूप से खारिज योग्य है।

{3}(VIII)–प्रतिफल सब रजिस्ट्रार नागौर के समक्ष मोहनराम ने लेना स्वीकार किया गया एंव भौतिक रूप से वादग्रस्त खेत का कब्जा क्रेतागण को देना भी स्वीकार किया। जिसका देहान्त होना अपीलांट स्वीकार करते है। मोहनराम 2002 मे गुजर गया तो उनके उतराधिकारीगण ने अपने वाद मे स्वीकार करवा लेते परंतु

अपर कलक्टर, नागौर

उनका कब्जा नही था एवं विक्रय होने की जानकारी थी। केवल मुआवजा राशि आने पर लोभवश खाते मे नाम अंकित होने से सारी की सारी गलत कार्यवाही की जा रही हैं जो काबिल खारिज के है।

{3}(IX)–वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी तर्क रहा है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 15.2.17 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना बताया गया है। ऐसे आवेदन की कोई प्रमाणित प्रति दस्तावेजी आधार पर प्रस्तुत नही हुई है तथा फोटोकॉपी को साक्ष्य मे नही माना जा सकता है। पटवारी हल्का द्वारा गलत नामान्तरकरण को लेकर उसके खिलाफ विभागीय जांच अथवा निलबिंत किया गया हो, यह तथ्य सरासर झूठ एवं काल्पनिक है। जब बेचान पंजीबद्व करवा दिया गया है तो नामान्तरकरण कार्यवाही के दौरान कब्जे की जांच की आवश्यकता नही रहती है तथा बेचान के दिन से ही कब्जा स्वतः ही हस्तान्तरित माना जाता है। ऐसी स्थिति मे कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण को चेलेन्ज नही किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा हक हकूक तय करने हेतु नियमित न्यायालय मे राजस्व वाद सं. 26/2017 सीता बनाम जेठमल प्रस्तुत किया, वो भी खारिज हो चुका है। इसलिये अपीलांट की अपील खारिज की जानी चाहिये।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम भाकरोद के खसरा नं. 165 रकबा 6.01 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के नाम नामान्तरकरण सं. 1942 की स्वीकृति दिनांक 15.07.17 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण बेचाननामा दिनांक 29.4.97 के आधार पर दिनांक 15.7.17 को स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पक्ष मे नही भरे जाने को लेकर अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष कोई उजर / प्रार्थना पत्र दिया हो, ऐसा प्रमाणित दस्तावेजी आधार नही है। तहसीलदार द्वारा बेचान के आधार पर नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही भरा गया है। यदि बेचान दस्तावेज फर्जी हो तो अपीलांट को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है। जिससे किसी के स्वत्व का निर्धारण नही होता है तथा अपीलांट का आराजी मे हक हिस्सा बनता हो तो वो नियमित न्यायालय मे कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। जहां तक अपीलांट का यह कथन रहा है कि नामान्तरकरण जैर अपील पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट से मिलकर गलत नामान्तरकरण कार्यवाही की, जिससे उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई एवं निलम्बित किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार / तथ्य प्रस्तुत नही किये जाने से अपीलांट का यह कथन साबित नही होता है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर